ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील कौशाम्बी मनझंनपुर

जारी दिनांक: 06/08/2025

तहसील आवेदन क० प्रमाणपत्र क० मनझनपुर 251740030072934 442253011338

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील जिला एरम फात्मा/Eram Fatma वाहिद अती

आसमा बेगम

0, चमन गंज करारी

मनझंनपुर कौशाम्बी



उत्तर प्रदेश राज्य की <u>मुस्लिम कायस्य</u> जाति के व्यक्ति हैं। <mark>यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।</mark>

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **एरम फात्मा/Eram Fatma** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यद्या संशोधित) की अनुसूची २ (जैमा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-॥, दिनोंक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपये या इसमें अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |



जारी कर्ता केन्द्र: कफील बहुमद ,सहज जन सेवा केंद्र SIDDHANT SEDIMIN KIMAR OPERSONAL पद: कफील बहुमद , केन्द्र प्रमारी KUMAR S=Uttar Pradesh

स्यान : KARARI, मनझंनपुर, बम्बावा

पश्चिम,मंझनपुर्द्भन्त्रंनपुर/ दिनॉक: 07/08/2028

हस्ताक्षर एंव महर

सक्षम बधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताव्वरित मनझंनपुर,कौशाम्बी दिनॉक:06/08/2025

यह प्रमाण पत्र इसेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैवार किया बया है तथा डिविटन विश्वेचर से इस्ताचरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया बया है। यह प्रमाण पत्र वेदसाइट https://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क० किर प्रमाणपत्र क० अंकित कर,सत्यापित किया वा सकता है।